

वित्त मंत्रालय

(जय विमान)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2014

क्र.आ. 2682.—प्रविण्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के खंड 8 के उप खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए केंद्र सरकार एल्यूटन्य बट्ट निदेश देती है कि जय विमान (संडि टैम की लोडिंग) के प्रकाशन केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् के कार्यालयों के लिए स्थापित प्रविण्य निधि पर लागू रहे।

[फा. सं. 4(1)-ईवी/2009]

विजय कुमार सिंह, निदेशक

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 8th October, 2014

S.O. 2682.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act (except Section 6A) shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Central Council of Homeopathy.

[F.No.4(1)-EV/2009]

VIJAY KUMAR SINGH, Director

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2014

क्र.आ. 2683.—प्रविण्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के खंड 8 के उप खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित लोक संस्थान को एल्यूटन्य बट्ट अधिनियम की अनुसूची में संयोजित करती है :-

“केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद्”

[फा. सं. 4(1)-ईवी/2009]

विजय कुमार सिंह, निदेशक

New Delhi, the 8th October, 2014

S.O. 2683.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act with effect from the date of publication of the notification, the name of the following public institution, namely:—

“Central Council of Homeopathy”

[F. No. 4(1)-EV/2009]

VIJAY KUMAR SINGH, Director